(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

128-जोधपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री अतुल भंसाली

ए-225, शास्त्री नगर, जोधपुर

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान जोधप्र

दिनांक 03.12.2023

रिटानेग ऑफिसर

128-जोधपुर विकास सभा क्षेत्र (चम्पालालु स्तित्युक्त सिह्नपु अस्ति) देट रिटर्निंग (अधिकोसोधपुर

128-जोधपुर विधानसभा क्षेत्र एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर)

जोधपुर

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 128-Jodhpur Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri ATUL BHANSALI

A-225, SHASTRI NAGAR, JODHPUR

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place JODHPUR

Dated 03-12-2023

(Champalal Jeengar, RAS)

128 Jodhpur Assembly Additional District Ma

strict Magistrate (City)